250 परिवारों के भविष्य का फैसला हाईकोर्ट ने किया सुरक्षित

एमआर-फोर से लगी लक्ष्मीपुर बस्ती का मामला, पट्टाधारियों को बिना पुनर्वास-मुआवजे हटाने पर आपत्ति, हाईकोर्ट ने सभी पक्ष सुने

जबलपुर। हाईकोर्ट ने एमआर-फोर से लगी लक्ष्मीपुर बस्ती में रह रहे करीब 200 से 250 परिवारों को हटाने के मामले में जबलपुर नगर निगम, जबलपुर विकास प्राधिकरण, केसरवानी शिक्षा समिति तथा बस्ती के रहवासियों का पक्ष सुनने के बाद प्रकरण आदेश के लिए सुरक्षित कर लिया। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर व अधिवक्ता रविंद्र कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि लक्ष्मीपुर की करीब आठ हेक्टेयर भूमि का वर्ष 1990 में अधिग्रहण किया गया था। क्षेत्र में पहले से रह रहे कई परिवारों को वर्ष 1998 में नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन अधिनियम के तहत 28 वर्ष की पट्टेदारी दी गई थी। अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि वर्तमान में यहां करीब 200 से 250 परिवार रह रहे हैं। इनमें पट्टाधारी परिवार भी शामिल हैं। उनका कहना था कि बिना सुनवाई, पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया पूरी किए इन्हें हटाया नहीं जा सकता। हस्तक्षेपकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में बस्ती खाली कराने की कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने बिजली काटने और अतिक्रमण हटाने की तैयारी की थी, जिसे हाई कोर्ट के समक्ष मामला आने के बाद रोका गया। उनका कहना था कि पिछले वर्षों में क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया।

10 साल की सजा निरस्त

हाईकोर्ट ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने तीरथ उर्फ छोटू टेकाम की अपील स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट से मिली 10 वर्ष की सजा का आदेश निरस्त कर दिया और उसे आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत डीएनए-एफएसएल रिपोर्ट में अभियुक्त को बच्चे का जैविक पिता नहीं पाया गया। प्रकरण में अधिवक्ता मनोज कुशवाहा एवं कौशलेंद्र सिंह ने पैरवी की। हाई कोर्ट ने माना कि वैज्ञानिक साक्ष्य अभियुक्त को घटना से जोड़ने के बजाय उससे अलग करते हैं। इसके अलावा अभियोजन साक्ष्य में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास पाए गए। अभियुक्त की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि अभियोजन अपराध को संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर सका।

इटारसी से नागपुर तक थमेगी ट्रेनों की वेटिंग

जबलपुर। इटारसी जंक्शन पर ट्रेनों को आउटर पर खड़े रहने से निजात दिलाने और मध्य भारत के रेल नेटवर्क की रफ्तार बढ़ाने की दिशा में बड़ा काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नागपुर-इटारसी के बीच 308 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। करीब 5,451 करोड़ रुपए की इस परियोजना को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

फिलहाल सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण के साथ पुलों और सुरंगों के निर्माण का काम जारी है। चौथी लाइन शुरू होने के बाद बीना से नागपुर तक 544 किलोमीटर के रेलखंड की क्षमता बढ़ेगी और इटारसी-नागपुर के बीच सफर करीब 4 घंटे में पूरा होने की उम्मीद है। रोजाना 140 से ज्यादा ट्रेनों की आवाजाही वाले इटारसी जंक्शन पर फिलहाल सात प्लेटफॉर्म हैं, जिसके चलते ट्रैफिक बढ़ने पर ट्रेनों को आउटर या लूप लाइन पर रोकना पड़ता है। परियोजना में तीन नए प्लेटफॉर्म भी बनाए जाएंगे, जिससे ट्रेनों की आवाजाही सुचारु होगी और आउटर की वेटिंग घटेगी। चौथी लाइन चालू होने के बाद सिग्नलिंग में लगने वाला समय कम होगा, ट्रेनों को अनावश्यक रोकने की जरूरत घटेगी और परिचालन के साथ बिजली की खपत में भी कमी आएगी।

ट्रेनों का बदला संचालन

पश्चिम मध्य रेलवे के बीना स्टेशन पर तीसरी रेल लाइन को आगासौद-बीना के बीच जोड़ने के लिए चल रहे प्री-एनआई और एनआई कार्य का असर ट्रेनों के संचालन पर पड़ेगा। 9 से 15 अक्टूबर तक ट्रेन 11271 इटारसी-भोपाल विंध्याचल एक्सप्रेस दमोह तक ही चलेगी, जबकि दमोह-भोपाल के बीच यह आंशिक रूप से रद्द रहेगी। इसी अवधि में ट्रेन 14814 भोपाल-जोधपुर का मार्ग 1 से 15 अक्टूबर तक बदला रहेगा।

Doctor's Special

डॉक्टर विशेषांक

20 सितंबर 2026

Teneo - 2 तकनीक से इलाज
TRANS EPI सबसे आधुनिक और सुरक्षित
9165108121
आज ही विजिट करे
janjyotieyehospital.com
1051, Gol Bazar, Near Kesharwani Collage Wright Town, Jabalpur

I-PLUS SUPER SPECIALITY
EYE HOSPITAL

डॉ. राहुल चौबे
रेटिना रोग विशेषज्ञ

डॉ मयूरी बोरा चौबे
मोतियाबिंद विशेषज्ञ
काँचियाबिंद, अकसूर, नाखूना,
रेटीना (परदे) की सर्जरी एवं इलाज
आयुष्मान द्वारा
नि:शुल्क
CGHS, TPA, MEDI CLAIM
अधिकृत

पता- पुराना बटालिया आई हॉस्पिटल, घंटाघर के पास
जबलपुर फोन: 0761-2622136, 7828347011

पीसीओडी (पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर) क्या है?

पीसीओडी एक हार्मोनल विकार है जो महिलाओं में आम है, खासकर प्रजनन आयु में। इस स्थिति में, महिलाओं के अंडाशय में कई छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जो हार्मोनल असंतुलन का कारण बनते हैं।

पीसीओडी के लक्षण - 1. अनियमित मासिक धर्म : पीसीओडी वाली महिलाओं में मासिक धर्म अनियमित या अनुपस्थित हो सकता है। 2. वजन बढ़ना : कई महिलाओं में वजन बढ़ने की समस्या देखी जाती है। 3. मुँहासे: हार्मोनल असंतुलन के कारण मुँहासे हो सकते हैं। 4. बालों की समस्या : कुछ महिलाओं में बालों की अधिकता या बालों का झड़ना देखा जा सकता है। 5. प्रजनन समस्याएं : पीसीओडी वाली महिलाओं में गर्भधारण करने में समस्या हो सकती है।

पीसीओडी के कारण-1. हार्मोनल असंतुलन: पीसीओडी का मुख्य कारण हार्मोनल असंतुलन है। 2. आनुवंशिक : पीसीओडी का परिवारिक इतिहास हो सकता है। 3. इंसुलिन प्रतिरोध इंसुलिन प्रतिरोध पीसीओडी के विकास में भूमिका निभा सकता है।

पीसीओडी का इलाज-1. जीवनशैली में बदलाव: स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम पीसीओडी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। 2. हार्मोनल थेरेपी हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने के लिए हार्मोनल थेरेपी का उपयोग किया जा सकता है। 3. प्रजनन उपचार गर्भधारण करने में समस्या होने पर प्रजनन उपचार की आवश्यकता हो सकती है।

पीसीओडी के साथ जीना-पीसीओडी के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही उपचार और जीवनशैली में बदलाव के साथ, लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। पीसीओडी एक बीमारी नहीं है और योग्य मार्गदर्शन में इसका उपचार और प्रबंधन अच्छी तरह से किया जा सकता है। यदि आप पीसीओडी के लक्षणों का अनुभव कर रही हैं, तो कृपया अपने नजदीकी स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें और उनकी सलाह लें। क्या आपको पता हैं सर्वाइकल कैंसर क्या? क्या आपको आपकी बेटी को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगी है?

सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की जानकारी- सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो महिलाओं में आम है, खासकर भारत में। यह कैंसर ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) के कारण होता है, जो एक यौन संचारित वायरस है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन एक प्रभावी तरीका है।

वैक्सीन के लाभ - सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को 90% तक कम कर सकती है।

अन्य कैंसर की रोकथाम - यह वैक्सीन अन्य कैंसर, जैसे कि अनुस और वुलवा के कैंसर, साथ ही जेनिटल वार्ट्स जैसी गैर-कैंसर वाली स्थितियों से भी सुरक्षा प्रदान करती है।

डॉ. श्रुति एस मुखर्जी

वैक्सीन की उम्र 9-14 वर्ष की लड़कियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) 9-14 वर्ष की आयु की लड़कियों को टीका लगाने की सलाह देता है, क्योंकि यह उम्र टीकाकरण के लिए सबसे उपयुक्त है।

9-45 वर्ष की आयु के लिए- भारत में विभिन्न एचपीवी वैक्सीन उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त हैं, जिनमें 9-45 वर्ष की आयु की महिलाओं और पुरुषों के लिए स्वीकृत वैक्सीन शामिल हैं।

वैक्सीन के दुष्प्रभाव- हल्के दुष्प्रभाव : इंजेक्शन लगाने के स्थान पर दर्द या लाल पड़ जाना।

गर्भावस्था के दौरान- गर्भावस्था के दौरान इसे लेने की मनाही होती है, लेकिन ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाएं इसे सुरक्षित रूप से ले सकती हैं।

वैक्सीन की महत्ता-जागरूकता बढ़ाना :- सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और शैक्षिक अभियान चलाना महत्वपूर्ण है ताकि लोग वैक्सीन के लाभों को समझ सकें।

सरकारी पहल:- सरकार को भी एचपीवी वैक्सीन को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रमों में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि आप अपने बच्चों को इस कैंसर से बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। अपने नजदीकी स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें और उनकी सलाह लें।

डॉ श्रुति एस मुखर्जी (गोल्ड मेडलिस्ट)
प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ
एम बी बी एस, एम एस, ओबीजीवाई
मुखर्जी पी जी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल

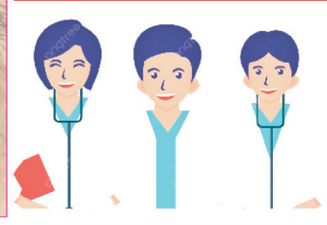

Hyderabad Omega Hospitals
JABALPUR
DEPARTMENT OF CARDIOLOGIST
डॉ. ए.ए.अंसारी
एम.बी.बी.एस., एम.डी. (मेडिसिन) डी.एम. (कार्डियोलॉजी)

लक्षण
इ.सी.जी.
इको
टी. एम. टी.
होल्टर
एंजियोग्राफी
एंजियोप्लास्टी
पेसमेकर एआइसीडी
सी.आर.टी. पेरिफेरल
टीनल एंजियोप्लास्टी
वाल्व प्रोसिजर
संपूर्ण हार्ट केयर
समय:- सोमवार से शनिवार, सुबह 11:30 से शाम 4 बजे तक
अन्य सुविधाएं -
सीजीएचएस • ईसीएचएस • सीएसएमए • रेलवे • आयुष्मान • सभी टीपीए से मान्यता प्राप्त
1800-123-4041
हैदराबाद ओमेगा हॉस्पिटल नागरथ चौक, जबलपुर

SMJ TRUST HOSPITAL
सेठ मन्नूलाल जगन्नाथदास ट्रस्ट हॉस्पिटल
उपलब्ध सुविधाएं

न्यूरो सर्जरी विभाग एवं ट्रॉमा केयर
हृदय रोग विभाग
हड्डी रोग विभाग
स्त्री रोग विभाग
शिशु रोग विभाग
पिडियाट्रिक सर्जरी विभाग
डायबिटीज, थायराइट एवं मेडिसिन विभाग
नाक, कान, गला रोग विभाग
प्लास्टिक सर्जरी विभाग
यूरोलॉजी विभाग
किडनी रोग विभाग
SMJ Pharmacy

CATH LAB | DIALYSIS UNIT | OT | CT SCAN | PHARMACY
● पैथोलॉजी ● सी.टी. स्केन ● कलर डॉप्लर ● एक्सरे ● सोनोग्राफी ● एंजियोप्लास्टी, ● एंजियोग्राफी ● पेसमेकर ● डायलिसिस ● 24 घंटे इमरजेंसी एवं एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध
BSNL, WCR, MEDICLAIM, CGHS, CSMA के कर्मचारियों हेतु अधिकृत
आयुष्मान - यूरो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, पोस्ट बर्न मैनेजमेंट एवं समस्त मेडीक्लेम के लिए अधिकृत अस्पताल
SHRIRANG
संपर्क करें +91 9303330282
दीक्षितपुरा, जबलपुर
हमारे पेज को फॉलो करे @smjt_hospital3

Conceptualizing Gita

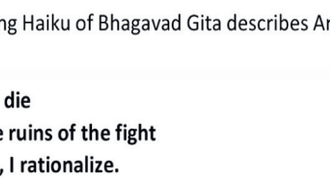

A temporary relief can never provide a permanent solution to a challenging situation.
Choosing to give up or letting go may seem like psychological coping mechanisms, but in the long run, they can cause deep emotional damage sometimes affecting not just individuals but generations to come.

History has shown us the consequences of such escapes. We cannot retreat from reality.
Escapism often dresses itself in logical arguments, trying to justify withdrawal. It creates an alternate comfort zone, masking the stress and burden of real challenges.

In the first chapter of the Bhagavad Gita, under the weight of emotional dependency and inner conflict, the mighty warrior Arjuna lays down his bow and quiver. He falls to his knees, overwhelmed — searching for comfort in illusions and justifications, seeking temporary solace rather than confronting truth.

But the Gita speaks with clarity:
There is only one path to the goal — and there are no false turnings.
The following Haiku of Bhagavad Gita describes Arjun's mind —

From do or die
Fearing The ruins of the fight
The Escape, I rationalize.

www.haikugita.com Haiku Gita Ch-1.24-25 Author- Dr. Akhilesh Gumashta

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57